न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 38 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. भीखाखा पुत्र नसीर 2. बरकत पुत्र नसीर 3. मलार पुत्र मखण 4. मठार पुत्र मखण 5. कमाली पत्नी मेहरदीन 6. पीरा पुत्र अरजन 7. उम्मेद अली पुत्र आरब 8. खीया पत्नी नेजेखां 9. कुरबानखां पुत्र विरमा 10. बरकतखां पुत्र विरमा 11. सोकतखां पुत्र विरमा जाति मुसलमान निवासी जुणेजा मेंहरों की बस्ती भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर	1. इमाम पुत्र उसमान उम्र 57 वर्ष जाति मुसलमान निवासी जुणेजा मेंहरों की बस्ती भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर 2. हसनखां पुत्र अलादीन 3. बरकतखां पुत्र अलादीन 4. कालू पुत्र मुराद 5. दोस मोहम्मद पुत्र रहीम 6. पीराखां पुत्र रहीम 7. असरूखां पुत्र हाजी 8. भीखाखां पुत्र उसमान 9. ठाकूखां पुत्र उसमान 10. उम्मेद अली पुत्र उसमान 11. सपुरी पत्नी शंकूर 12. हयाता पत्नी नूरदीन 13. कमी पत्नी हबीब 14. खेताखां पुत्र अलीखां 15. आचारखां पुत्र अलीखां 16. रजाकखां पुत्र अलीखां 17. शेरखां पुत्र विलाल 18. मीरा पुत्र समदा 19. लतीफ पुत्र अकबर 20. आचार पुत्र विलाल 21. खमीशा पुत्र विलाल 22. सुराब पुत्र मखण का.मु. 22 / 1जुमा पुत्र सुराब 22 / 2अनवर पुत्र सुराब 22 / 3आईसी पत्नी सुराब जाति मुसलमान निवासी जुणेजा मेंहरो की बस्ती भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर 23. प्रबन्धक, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाडखा 24. तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 152 / 2019 बअनवान हसणखां बनाम ईमाम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भीमाराम कुमावत अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री राजेश विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 02 से 22/03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 28.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत ग्राम जुणेजा मेंहरो की बस्ती पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाड़मेर में खसरा संख्या 346 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 910/347 रकबा 420 बीघा कुल रकबा 421.02 बीघा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 563/8422 हिस्सा, वादी संख्या 04 से 06 का 518/8422 हिस्सा, वादी संख्या 07 से 09 व प्रतिवादी संख्या 01 का 658/8422 हिस्सा, वादी संख्या 10 का 625/8422 हिस्सा, वादी संख्या 11 का 225/8422 हिस्सा, वादी संख्या 12 का 225/8422 हिस्सा, वादी संख्या 13 से 15 का 1407/8422 हिस्सा, वादी संख्या 16 का 156/8422 हिस्सा व वादी संख्या 17 का 869/8422 हिस्सा, वादी संख्या 18 का 889/8422 हिस्सा, वादी संख्या 19 व 20 का 733/8422 हिस्सा, वादी संख्या 21 से 34 का संयुक्त रूप से 1554/8422 हिस्सा है तथा इसी अनुरूप मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है एवं प्रतिवादी वादीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलांटस द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया तथा दावा धोखे से पेश करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी इमाम का सम्मन तामील नहीं करवाया गया। वास्वत में इमाम वर्तमान में पाकिस्तान में रहता है जिस कारण उक्त सम्मन विधिवत रूप से तामील नहीं हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा शेष उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा **By Metes & Bound** सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद में वादीगण जिनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांटस ने वक्त बहस में निवेदन किया कि दावे की जानकारी नहीं रही था दावा धोखे से किया गया लेकिन इस तथ्य को लेकर अपीलांटस द्वारा कोई एफ आई आर दर्ज नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सबूत पेश करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2021 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को सूचना/नोटिस दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 152/2019 बअनवान हसणखां बनाम ईमाम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.02.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा खिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर